स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना

हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के लिये स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना (Swatantrata Sainik Samman Yojana- SSSY) और इसके घटकों को आगे जारी रखने की मंज़ूरी दे दी है जिसके लिये कुल वित्तीय परिव्यय 3,274.87 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।

प्रमुख बिंदु

- **पृष्ठभूमि:**
  - भारत सरकार द्वारा पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिये वर्ष 1969 में 'अंडमान के पूर्व राजनीतिक कैदियों के लिये पेंशन योजना' ('Ex-Andaman Political Prisoners Pension Scheme) शुरू की गई थी।
  - वर्ष 1972 में स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने की एक नियमित योजना शुरू की गई थी।
  - 1980 के बाद से एक उदार योजना अर्थात् 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980' (**Swatantrata Sainik Samman Pension Scheme,** 1980') को लागू किया गया है।
  - वित्तीय वर्ष 2017-18 से योजना का नाम बदलकर 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान योजना' कर दिया गया है।
  - पेंशन की राशि में समय-समय पर संशोधन किया जाता रहा है और वर्ष 2016 से महँगाई राहत (Dearness Relief) भी प्रदान की जा रही है।
- **योजना के बारे में:**
  - यह योजना राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के सम्मान के प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों को मासिक सम्मान पेंशन प्रदान करती है।
  - उनकी मृत्यु पर पात्र **आश्रितों अर्थात् पति या पत्नी तथा अविवाहित एवं बेरोज़गार बेटियों और आश्रित माता-पिता** को निर्धारित पात्रता मानदंडों एवं प्रक्रिया के अनुसार पेंशन प्रदान की जाती है।
  - इसे **गृह मंत्रालय (स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग)** द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
  - इस योजना के तहत **देश भर में 23,566 लाभार्थी** शामिल हैं।

स्रोत: पी.आई.बी.

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/swatantrata-sainik-samman-yojana